UPJS010032102026

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,झांसी।**

**उपस्थितः–नेत्रपाल सिंह (एच०जे०एस०)**

**(JO CODE–UP 6348)**

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–295/2026

कस्तूरी देवी अहिरवार बनाम सुन्दर केवट आदि

थाना–एरच, झाँसी।

**दिनांक–09.07.2026**

1– प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० आदेश हेतु पेश हुआ। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया गया है।

2– प्रार्थिया कस्तूरी देवी अहिरवार ने प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है किः– "प्रार्थिया का मंजला पुत्र दीपेन्द्र कुमार उर्फ दीपू टैक्ट्रर से भूसा ढोने एवं अन्य मजदूरी का कार्य करता था। कस्बा एरच के ही सुन्दर केवट पुत्र गनपत, मनीराम केवट पुत्र प्रकाश, लल्लू पुत्र बिरजे केवट, रविकान्त पुत्र गोपी केवट, राजेश उर्फ राजू पुत्र रतिराम केवट निवासीगण कस्बा व थाना एरच जिला झांसी से प्रार्थिया के पुत्र दीपेन्द्र कुमार उर्फ दीपू का लेनदेन को लेकर काफी विवाद था जिसको लेकर कई बार झगड़ा व वाद विवाद हो चुका था। दिनांक–25.04.2026 को शाम लगभग 5:00 बजे प्रार्थिया अपने घर पर ही थी प्रार्थिया के पुत्र दीपेन्द्र कुमार उर्फ दीपू, रविन्द्र व देवेन्द्र भी घर पर ही थे उसी समय उपरोक्त सुन्दर केवट, मनीराम केवट, लल्लू केवट, रविकान्त केवट, राजेश उर्फ राजू केवट एक राय होकर प्रार्थिया के घर आये तथा दीपेन्द्र से बोले हमारे साथ चलो आज तुम्हारा फाईनल हिसाब कर दे। प्रार्थिया का पुत्र दीपेन्द्र कुमार साथ नहीं जाना चाहता था फिर भी डरा धमकाकर जबरदस्ती उपरोक्त पाँचो लोग प्रार्थिया के पुत्र दीपेन्द्र कुमार को अपने साथ बेतवा नदी के पास ले गये काफी समय तक जब प्रार्थिया का पुत्र दीपेन्द्र कुमार उर्फ दीपू लौटकर नहीं आया तो प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के दोनो पुत्र रविन्द्र व देवेन्द्र, दीपेन्द्र कुमार को खोजने बेतवा नदी की तरफ गये तथा घेड़ा के पास जाकर देखा तो उपरोक्त पांचो लोग सुन्दर केवट, मनीराम केवट, लल्लू केवट, रविकान्त केवट, राजेश उर्फ राजू केवट प्रार्थिया के पुत्र दीपेन्द्र कुमार को पानी में डूबो रहे थे तथा दीपेन्द्र कुमार के पैर तार से बंधे हुये थे तथा हाथ गमछे से बंधे हुए थे। जैसे ही प्रार्थिया व प्रार्थिया के दोनो पुत्रो ने पांचो मुल्जिमानो को ललकारा तो पांचो मुल्जिमान गाली देते हुये बोले मादरचोदो चमार वालो दीपेन्द्र बहुत हिसाब मांगता था आज इसको ठिकाने लगाकर हम लोगो ने इसका हिसाब पूरा कर दिया अब यदि तुम लोगो ने जुबान खोली तो दीपेन्द्र की तरह तुम्हारी भी हत्या कर देगें उपरोक्त घटना प्रार्थिया व प्रार्थिया के पुत्रों ने टॉर्च की रोशनी में देखी। प्रार्थिया एवं प्रार्थिया के पुत्र भागकर थाना एरच गये सारी घटना बतायी, लेकिन मुल्जिमानों के असर एवं पहुंच की वजह से प्रार्थिया की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अगले दिन दिनांक– 26.04.2026 को काफी प्रयास के बाद शाम लगभग 4:30 बजे प्रार्थिया के पुत्र दीपेन्द्र की लाश पानी से निकाली जा सकी पुलिस कार्यवाही पंचायतनामा में भी प्रार्थिया व प्रार्थिया के पुत्रों ने पुलिस को सारी घटना बतायी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लिखित सूचना देने के बावजूद भी थाना एरच की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उक्त आधार पर विपक्षीगण के विरुद्ध थाना एरच पुलिस को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेशित करने की याचना की गई है।"

Digitally signed by NETRA PAL SINGH
Date: 2026.07.09 17:07:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**3–** प्रार्थिया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में शपथपत्र, थानाध्यक्ष थाना एरच झांसी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को प्रेषित प्रार्थनापत्रों की प्रति, मूल डाक रसीद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति, एक किता फोटोग्राफ व जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रित संलग्न की गयी है।

**4–** प्रार्थिया के उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना–एरच, जिला–झाँसी से आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाना द्वारा आख्या प्रस्तुत कर कहा गया है किः– " आवेदिका श्रीमती कस्तूरी देवी अहिरवार (चमार) के द्वारा दिनांक 26.04.2026 को थाना एरच कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थिया का पुत्र दीपेन्द्र उर्फ दीपू कल शाम 05.00 बजे से लापता है। खोजबीन की तो पता चला कि शाम के समय 06.00 बजे बेतवा नदी के तट पर दीपेन्द्र उर्फ दीपू और सुन्दर केंवट शराब पी रहे थे। सुन्दर केंवट अपने घर पहुँच गया दीपू को बेतवा नदी के तट पर छोड़ दिया। राजू केवट व रविकान्त केंवट ने बताया कि दीपू पुल से कूद गया है। उक्त प्रार्थनापत्र की जांच की गयी तो गोताखोरों से बेतवा नदी में तलाश करायी गयी थी। दीपेन्द्र उर्फ दीपू का शव बरामद हुआ जिसका विवरण रो०आम की रपट संख्या 29 समय 20.35 बजे अभिलिखित किया गया था। शव का पंचायतनामा दिनांक 26.04.2026 को भरा गया। पंचो ने अपनी राय में लिखा था कि दीपेन्द्र उर्फ दीपू की मृत्यु पानी में डूबने के कारण मृत्यु होना प्रतीत हो रही है। दिनांक 27.04.2026 को शव का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या 114/2026 दिनांक 27.04.2026 के अनुसार मृत्यु का कारण SHOCK AND AXPHYSIA ANTEMORTEM DROWING पाया गया है। मृतक दीपेन्द्र उर्फ दीपू का वीडियो बनाया गया था। उस पर हरे रंग की घासनुमा दिखाई दे रही थी वह घास है या रस्सी या तार है का रसायनिक परीक्षण कराये जाने हेतु क्षेत्राधिकारी महोदय गरौठा से प्राप्त डाकेट तैयार करवाकर विशेष वाहक आरक्षी 451 अजयपाल द्वारा विधि विज्ञान (प्रयोगशाला आगरा) दाखिल करने हेतु भेजा जा रहा है। अब तक की जांच से आवेदिका के पुत्र दीपेन्द्र उर्फ दीपू उम्र 32 वर्ष शराब के नशे की हालत में बेतवा नदी के पानी में डूबने से मृत्यु होना विदित हुआ है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त संलग्न शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर थाना एरच कार्यालय मे कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।"

**5–** मेरे द्वारा प्रार्थिया कस्तूरी देवी अहिरवार के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों, थाने से प्राप्त आख्या एवं अन्य समस्त प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन एवं परिशीलन किया गया है।

**6–** प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 173(4) सपठित धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. में मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराने का आदेश पारित करने के स्तर पर मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश को केवल प्रथमदृष्टया यह देखने की आवश्यकता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर कोई संज्ञेय मामला बनता है अथवा नहीं। इस स्तर पर न तो मामले के गुण–दोष पर विचार किया जाना है और न ही गुण–दोष के संबंध में कोई निष्कर्ष दिया जाना है।प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण द्वारा मृतक वादिया के मजले पुत्र दीपेन्द्र उर्फ दीपू को एक राय होकर उसे घर से ले जाकर पानी में डुबोकर उसकी हत्या की गयी है। संबंधित थाना एरच की पुलिस विपक्षीगण के प्रभाव में है तथा विपक्षीगण से मिलकर मनमानी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थिया के पुत्र दीपेन्द्र उर्फ दीपू की मृत्यु के उपरांत उसका पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया है। जिसमें मृतक की मृत्यु पानी में डूबकर होना पाया गया है। घटना से संबंधित सभी तथ्यों व मामले की सच्चाई न्यायालय के समक्ष लाने के लिए प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तदनुसार विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

**7–** प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों, थाने से प्राप्त आख्या एवं प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने के आधार पर स्पष्ट है कि प्रकरण में

प्रार्थिया द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 25.04.26 को शाम 5 बजे अपने पुत्र दीपेन्द्र उर्फ दीपू को बेतवा नदी के पास ले जाकर एक राय होकर उसकी बेतवा नदी में डुबोकर हत्या करने के कथन किये गये हैं। प्रकरण में मृतक के शव का पंचायतनामा भरा गया है तथा उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। प्रार्थिया का कथन है कि विपक्षीगण ने उसके पुत्र दीपेन्द्र उर्फ दीपू को एक राय होकर हत्या करने के आशय से पानी में डुबोकर उसकी मृत्यु कारित की है। जबकि थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार दीपेन्द्र उर्फ दीपू के नदी में कूदने के कथन किये गये हैं।

**8–** धारा 173(4) सपठित धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश पारित करने के स्तर पर न्यायालय को केवल प्रथमदृष्टया मामला देखने की आवश्यकता है। इस स्तर पर मामले के गुण दोष के संबंध में कोई भी निष्कर्ष दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। मामला हत्या से संबंधित बताया गया है। प्रार्थिया द्वारा घटना के संबंध में किये गये कथनों की सत्यता का पता लगाने के लिए व आस पास के लोगो से पूछताछ कर घटना से संबंधित वास्तविक साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए प्रकरण में विवेचना कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तदनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रार्थिया श्रीमती कस्तूरी देवी अहिरवार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष थाना–एरच, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। मुकदमा दर्ज कराने के बाद अनुपालन आख्या इस न्यायालय को प्रेषित की जाए। इस पत्रावली को कार्यालय में रखा जाए तथा प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के उपरांत इस पत्रावली को उसी पत्रावली के साथ संलग्न किया जाए। इस आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ संबंधित थाना को भेजी जाए।

दिनांक–09.07.2026

**(नेत्रपाल सिंह)**
**विशेष न्यायाधीश**
**एस.सी./एस.टी.एक्ट झांसी**